न्यायालय: – पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र. <u>(आप.प्रक.क्रमांक :- 350 / 2016)</u>

<u>(संस्थित दिनांक :- 24 / 06 / 2016)</u>

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ। जिला-भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन

/ / विरूद्ध / /

- 01. मंशाराम जाटव पुत्र सरमन जाटव, उम्र 63 वर्ष।
- हुनेन्द्र उर्फ होलेन्द्र पुत्र मंशाराम जाटव, उम्र 31 वर्ष। 02.
- 03. ध्यानेन्द्र जाटव पुत्र मंशाराम जाटव, उम्र 25 वर्ष। निवासीगण :- ग्राम नेनौली कॉलौनी, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।
- सुनील कुमार पुत्र गणेशराम जाटव, उम्र 33 वर्ष। 04. निवासी :- ग्राम पिपाहड़ा, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

.....अभुयक्तगण।

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक : 07/11/2017 को घोषित)

अभियुक्तगण मंशाराम, हुनेन्द्र उर्फ होलेन्द्र, ध्यानेन्द्र एवं सुनील पर भा.द.सं. की धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक : 16 / 05 / 2016 को दोपहर लगभग 04:00 बजे ग्राम नैनोली का हार अजमेर के खेत के पास सरकारी कुऑ पर, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी हाकिम को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी हाकिम की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त ध्यानेन्द्र ने फरियादी हाकिम की घातक आयुध सरिया से एवं सहअभियुक्तगण ने लात-घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी हाकिम को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है। 02.

अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 16/05/2016 को दोपहर लगभग 04:00 बजे ग्राम नैनोली का हार अजमेर के खेत के पास सरकारी कुऑ पर, आरोपीगण द्वारा फरियादी हाकिम से गाली-गलौच करने, उसकी सरिया एवं लात-घूसों से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी हाकिम द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण मंशाराम, हुनेन्द्र उर्फ होलेन्द्र, ध्यानेन्द्र एवं सुनील के विरूद्ध अपराध क्रमांक 97/2016 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। फरियादी हाकिम, साक्षीगण रेनुका एवं नेताबाई के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण मंशाराम, हुनेन्द्र उर्फ होलेन्द्र, ध्यानेन्द्र एवं सुनील के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी ध्यानेन्द्र ने दिनांक :— 16/05/2016 को दोपहर लगभग 04:00 बजे ग्राम नैनोली का हार अजमेर के खेत के पास सरकारी कुऑ पर, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी हाकिम की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त ध्यानेन्द्र ने फरियादी हाकिम की घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी हाकिम सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण मंशाराम, हुनेन्द्र उर्फ होलेन्द्र, ध्यानेन्द्र एवं सुनील को जानता है, आरोपीगण उसके गांव के ही रहने वाले है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 30/10/2017 से लगभग एक—डेढ़ वर्ष पूर्व की होकर शाम 04:00 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उस समय उसका आरोपीगण से पानी भरने को लेकर मुँहवाद हो गया था, जिस पर आरोपीगण ने उसकी लात—घूसों से मारपीट कर दी थी। इस संबंध में उसने रिपोर्ट पुलिस थाना मौ में रिपोर्ट की थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका ईलाज कराया था एवं घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी हाकिम सिंह अ.सा.02 ने आरोपी ध्यानेन्द्र द्वारा दिनांक :— 16/05/2016 को दोपहर लगभग 04:00 बजे ग्राम नैनोली का हार अजमेर के खेत के पास सरकारी कुऑ पर, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उसकी घातक आयुध सरिया से मारपीट कर स्वेच्छया उपहितयाँ कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत अभियोजन कथा का

समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी हाकिम सिंह अ.सा.02 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

- 07. आरोपीगण एवं फरियादी हाकिम के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी हाकिम अ.सा.02 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।
- 08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी ध्यानेन्द्र ने दिनांक :— 16/05/2016 को दोपहर लगभग 04:00 बजे ग्राम नैनोली का हार अजमेर के खेत के पास सरकारी कुऑ पर, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी हाकिम की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त ध्यानेन्द्र ने फरियादी हाकिम की घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।
- 09. अभियोजन आरोपीगण मंशाराम, हुनेन्द्र उर्फ होलेन्द्र, ध्यानेन्द्र एवं सुनील के विरूद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 10. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद